न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 04/2022
दायर दिनांक : 03/03/2022
निर्णय दिनांक : 08/01/2025

उनवान

1. सुखलाल पिता मांगीलाल महाजन निवासी धमाना तहसील कपासन — प्रार्थी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर — अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति : 1. राजकुमार लढ्ढा, अधिवक्ता प्रार्थी

:: निर्णय ::

वकील प्रार्थी की और से एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार से है :

यह कि ग्राम जाशमा तहसील भूपालसागर में वर्तमान खाता सं. 1309 में स्थित आ.सं. 2315 रकबा 0.95 है., आ.सं. 2316 रकबा 0.90 हे. किता 2 रकबा 1.85 है. स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे काश्त में है। उपरोक्त आराजी खसरा नंबर के साबिक पैमायश मे आ.सं. 1185 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1186 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा किता 2 रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के पिता श्री मांगीलाल पिता नाथूराम महाजन निवासी धमाना के नाम पर खातेदारी से दर्ज होकर कब्जे एवं अधिकार में थी एवं मांगीलालजी के देहावसान के बाद प्रार्थी के नाम खातेदारी से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होकर कब्जे एवं अधिकार में है। उपरोक्त साबिक रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा के हिसाब से गणितीय दृष्टि से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम हाल आ.सं. में 2.05 है. दर्ज होना चाहिये था परन्तु वक्त सेटलमेंट राजस्व कर्मचारियों की गलती के कारण रकबा 1.85 है. ही दर्ज हुआ यानि कि प्रार्थी के नाम साबिक रिकार्ड के मुकाबले हाल रिकार्ड में 0.20 है. भूमि कम दर्ज हुई। जबकि मौके पर कब्जा प्रार्थी का अपने पिताजी के समय से ही साबिक रकबे के अनुसार निरन्तर चला आ रहा है। इस कारण उपरोक्त दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड में की जाना आवश्यक है एवं जो रकबा प्रार्थी के नाम पर कम दर्ज हुआ है उसके पूरी किया जाकर प्रार्थी के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 1.85 है. के स्थान पर 2.05 है. रकबा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रार्थी ने कई बार पटवारी हल्का एवं विपक्षी से निवेदन किया तो उन्होने असमर्थता जाहिर की एवं न्यायालय [illegible] प्रस्तुत कर आदेश कराने की सलाह दी। इस कारण प्रार्थी ने दिनांक 27.12.202[illegible] रा[illegible] रिकार्ड की नकल [illegible] समस्त संबंधित कार्यालय से प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड की [illegible] नकले प्राप्त कर कानूनी सलाह ले बिना किसी विलम्ब के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर [illegible] ग्राम जाशमा की हाल आराजी सं. 2315 रकबा 0.95 है., आ.सं. 2316 रकबा 0.90 है. किता 2 रकबा 1.85 [illegible] के स्थान पर प्रार्थी को 2.05 है. रकबे का खातेदारी से नाम इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन जारी किये गये बाद सम्मन तामील अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर अपने जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की पैरा 1 में वर्णित तथ्य रिकार्ड अनुसार होने से स्वीकार है, पैरा 2 अस्वीकार है जिसमें प्रार्थीगणों का कथन है कि हाल आ.सं. 2315 व 2316 के साबिक आ.सं. 1185 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा व आ.सं. 1186 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा थे एवं प्रार्थी के पिता श्री मांगीलाल पिता नाथूराम महाजन के नाम दर्ज होकर मांगीलाल जी के देहावसान के बाद प्रार्थी के नाम पर दर्ज होना प्रार्थी स्वयं सिद्ध करावे। वाद की पैरा 3 अस्वीकार है, प्रार्थी द्वारा साबिक रकबा 9 बीघा 10 बिस्वा के मुकाबले रकबा कम दर्ज होना बताया परन्तु यह नहीं बताया कि कि अमुक आराजी नंबर से रकबा कम कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जावे। प्रार्थी द्वारा मात्र धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत किया है जो सामान्य लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के लिये है। यह प्रार्थना पत्र घोषणात्मक वाद की श्रेणी में आता है, अतः अस्वीकार है। पैरा 4 में जवाब अपेक्षित नहीं है। प्रार्थना पत्र पैरा 5, 6, 7, 8, 9 मान. न्यायालय से संबंधित होने से जवाब अपेक्षित नहीं है। प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर साबिक व हाल रिकार्ड के पूर्ण दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किये हैं एवं रकबा किस आराजी से लिया जाना है यह भी अपने प्रार्थना पत्र में नहीं बताया है तथा प्रकरण घोषणात्मक वाद की श्रेणी में आता है न कि धारा 136 एल.आर. एक्ट। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जावे। तहसीलदार, भूपालसागर की रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 अनुसार ग्राम जाशमा की आ.सं. 2315 व 2316 पर मीना पत्नी कैलाशचन्द्र जाट निवासी धमाना का कब्जा होना पाया गया, जो जरिये विक्रय पत्र से क्रय की गई है।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी के जवाब एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 20.11.2024 तथा वकील प्रार्थी की बहस के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलक्टर व
सहउपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 11:24:58 IST
Reason: SelfAttested